

कार्यालय सफाई अनुभाग--नगर पालिका परिषद, देवरिया।


पत्रांक

/स्व0स0अनु0-20 -20 / देवरिया

दिनांक -

भूमि क्रय हेतु सार्वजनिक सूचना।

सर्व साधारण एवं इच्छुक भूमि मालिकों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद देवरिया को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत 10 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। उक्त भूमि कि नगर क्षेत्र से अवस्थिति 10 कि०मी० के अन्दर होना चाहिए। भूमि विवादित न हो। भूमि पर जाने हेतु सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई 12 फीट से अधिक होनी आवश्यक है। भूमि का चिन्हांकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 की अनुसूची-1 नियम-15(ब),(यज्ञ),16(1) (ख)(5), 16(4) में दी गयी व्यवस्था एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य, पर्यावरण, पेयजल की शुद्धता एवं प्रदूषण के मानको को ध्यान में रखकर की जायेगी जैसे-चयनित भूमि नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर राजमार्गों, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति स्त्रोतों से 200मीटर तथा विमान पतनों या हवाई अड्डों से 20 किलोमीटर की दूरीपर स्थित होनी चाहिए तथा जमीन में हाइटेन्शन तार/पोल से पूर्णतया मुक्त हो। भूमि आद्र (दलदली/नमी) मुक्त हों। इच्छुक व्यक्ति अपना लिखित सहमति पत्र 15 दिवस के अन्दर नगर पालिका परिषद देवरिया में दे सकते हैं, तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। उक्त सूचना पालिका के वेबसाइट WWW Municipal deoria.in पर देखा जा सकता है।

  
अमित कुमार सिंह  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
देवरिया।

  
अलका सिंह  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद,  
देवरिया।

पत्रांक

1326/21

/स0अनु0-2017-018

दिनांक-21/2/18

प्रतिलिपि-(1)-

हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण" व "हिन्दुस्तान" को इस आशय से कि उक्त सूचना कम से कम स्थान में सरकारी दर पर देवरिया संस्करण में प्रकाशित कर समाचार-पत्र की दो प्रतियो सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

✓(2)-

श्री जितेन्द्र कुमार कम्प्यूटर सेल को इस आशय से कि उक्त सूचना पालिका के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(3)-

नोटिस बोर्ड नगर पालिका, लो०नि०वि० विकास भवन तहसील, कलेक्ट्रेट देवरिया पर चस्पा हेतु।

  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद,  
देवरिया।